निगरानी / टी.ए./ 6820/ 2002/ जिला चित्तौडगढ
भैंरूलाल बनाम नानूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
29-7-2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अशोकनाथ योगी, अभिभाषक प्रार्थी । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित **आदेश** 1. हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान अपर जिला कलेक्टर प्रतापगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–9–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् काउंटर क्लेम पर आपत्ति आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है। 2. अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा से हस्तांतरित होकर अपर जिला कलेक्टर प्रतापगढ के न्यायालय में स्थानांतरित हुआ। प्रतिवादी अप्रार्थी ने वाद खारिज करने के निवेदन के साथ काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर विवादित आराजी में स्वयं को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर कब्जा दिलाये जाने की डिक्री करने का निवेदन किया। जिस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति जताई गई कि प्रतिवादी अप्रार्थी ने काउंटर क्लेम द्वारा खातेदारी घोषणा चाही है परंतु उक्त घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का कोई आधार काउंटर क्लेम में वर्णित नहीं किया गया है। अप्रार्थी ने काउंटर क्लेम में उचित शुल्क एवं वाद कारण अंकित नहीं किया। प्रार्थी ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया था। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् काउंटर क्लेम पर आपत्ति खारिज करने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थना पत्र खारिज/स्वीकार किये जाने का ठोस एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जाना आवश्यक है। मात्र यांत्रिक रूप से प्रार्थना पत्र एक लाईन में खारिज किया गया है, जो अवैधानिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे। 3. अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 4. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी प्रार्थी ने प्रतिवादी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम पर आपत्ति प्रकट करते हुये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	उसे चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया था किंतु विचारण न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् काउंटर क्लेम पर आपत्ति को एक लाईन से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का कोई ठोस व स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र सरसरी तौर पर अप्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र एक पंक्ति में खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय प्रार्थना पत्र खारिज करने के कारणों को अभिलिखित करता। सकारण आदेश पारित करने का तात्पर्य यही है कि वह पक्षकार जिसके विरूद्ध आदेश पारित किया गया है वह प्रार्थना पत्र को खारिज करने के कारण एवं आदेश की औचित्यता से अवगत हो सके जिससे कि प्राकृतिक न्याय के आधारभूत सिद्धान्तों की पालना हो सके। अतः कारण अभिलिखित किये बिना प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्टतः तात्विक एवं सारवान् अनियमितता की है। 5 निष्कर्षतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाती है एवं न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रतापगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–9–02 अपास्त किया जाता है। न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रतापगढ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा काउंटर क्लेम पर प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर ठोस एवं स्पष्ट कारण अंकित करते हुये विधिसम्मत् आदेश पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	